

पेयजल का दुरुपयोग नहीं करेगा।  
एवं उपलब्ध पेयजल स्रोत, हैण्डपंप, नलकूप आदि के 150 मीटर की परिधि में निजी उद्देश्यों के लिये हैण्डपंप अथवा ट्यूबवैल खनन नहीं करेगा। इस दौरान शासकीय विभागों द्वारा लोक हित में पेयजल हेतु नलकूपों का खनन छोड़कर, सभी प्रकार के नलकूपों के खनन प्रतिबंधित रहेंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लिखित अनुज्ञा पर, विशेष परिस्थितियों में व आपात्कालिक स्थिति की दशा में क्षेत्रांतरण अनुविभागीय अधिकारी एवं देण्डाधिकारी पेयजल हेतु निजी नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिये क्षेत्रांतरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी को अधिक्त किया गया है। मह्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा के तहत दण्डनीय होगा।